प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वर्ष 2013-18 की अवधि के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन की निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2013-18 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान मे आए और साथ ही वे जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है। तदनुसार विभाग से जहां भी सूचना प्राप्त हुई है, तथ्यों को सितंबर 2020 तक अद्यतन किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।